सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में योगी के इशारे पर हिंसा फैला रही है यूपी पुलिस

सीएए-एनआरसी के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने के नाम पर 1 महीने तक सलाखों के पीछे रहे हाईकोर्ट के वकील मोहम्मद शुऐब ने कहा मुझ पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा गिरफ्तारी करवाने वाले वही डीजीपी हैं, जिन्होंने बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बजरंगदल के गुण्डों द्वारा अपने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद इन संगठनों का नाम लेने तक की नहीं दिखाई थी।

दिल्ली, जनज्वार। रिहाई मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता मुहम्मद शुऐब ने 21 जनवरी को दिल्ली स्थित प्रेस क्लब पत्रकारों से प्रेस क्लब में बातचीत की। संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) के खिलाफ आवाज बुलंद करने के जुर्म में महीना भर बाद जेल से रिहा होने पर पत्रकार वार्ता में कहा कि आपातकाल में जेल काटने के कारण लोकतंत्र का सेनानी बना और अब संविधान की रक्षा के लिए जेल जाने पर मुझे गर्व है।

उन्होंने कहा कि रिहाई मंच समाज के हाशिए पर खड़े वंचित समाज के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार संघर्ष के चलते सत्ता की नजरों में गढ़ता रहा है। डीजीपी उत्तर प्रदेश ने 3 जनवरी को प्रेस कांफ्रेस करके विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने का झूठा आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। इस बीच सत्ता के इशारे पर रिहाई मंच की छवि खराब करने वाले समाचार प्रकाशित होते रहे। उन्होंने कहा कि यह वही डीजीपी हैं, जो बुलंदशहर में हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बजरंगदल के गुण्डों द्वारा अपने ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के बाद इन संगठनों का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाए।

मोहम्मद शुऐब ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ शांतिपूर्ण आन्दोलन को साजिश के तौर पर संघ और भाजपा के लोगों की मदद से हिंसक बनाया गया और उनको और रॉबिन वर्मा को गिरफ्तार कर मंच को घेरने की साजिश पुलिस ने रची। रॉबिन की थाने में बेरहमी से पिटाई की। पुलिस के दबाव में उन्हें शिया पीजी कॉलेज, जहां वे पढ़ाते थे, से बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस सोर्सेज द्वारा कभी रॉबिन वर्मा को कश्मीरी पत्थरबाजों से जोड़ा गया, तो कभी सार्वजनिक धरना एवं बैठकों को एक बड़ा षड्यंत्र घोषित कर दिया गया। मुझे और अन्य लोगों को उपद्रवी बताकर अपमानित करते हुए हाथ में नाम-लिखा कागज पकड़ाकर उसके फोटो सार्वजनिक तौर पर जारी किये गए।

रॉबिन को गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव के बारे में पूछा गया कि वह कहां हैं। सीओ पुलिस ने उन्हें और उनके घर वालों को भी फर्जी मुकदमों में जेल में डालकर जिंदगी खराब करने की धमकी दी। जिस तरह से गालियों के साथ राजीव यादव के बारे में पुलिस अधिकारी लगातार पूछताछ करते रहे उससे प्रतीत होता है कि यह सरकार जनता के हित की बात करने वालों को साजिश के तहत टार्गेट करने पर आमादा है। जिस तरह उनसे राजीव यादव को लेकर पुलिस ने पूछताछ की, उसको लेकर उन्होंने राजीव यादव की सुरक्षा की गम्भीर चिन्ता जताई।

बकौल मोहम्मद शुऐब के जेल में बन्द अन्य लोगों ने भी कहा कि राजीव के बारे में उनसे पूछताछ हुई, जबकि पुलिस स्टेशन में उनकी मौजूदगी में कई लड़कों को लाया गया, जो पत्थरबाजी करते हुए पकड़े गए थे। उनके समर्थन में भाजपा कार्यालय से फोन आए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें चाय पिलवाकर सम्मानपूर्वक भाजपा कार्यालय भेज दिया।

इस कार्यक्रम में बोलते हुए पत्रकार हरतोष बाल जी ने कहा कि रिहाई मंच ने बहुत समय तक जो काम किया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर गुस्सा दिलाता है, और बहुत ही सुनियोजित तरीकों से सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन और हिंसा की जा रही है, जो साफ-साफ अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर राज्य तंत्र के इस्तेमाल से बदला लिया जा रहा है। पुलिस के बडे अधिकारी संघ और उनकी दूषित विचारधारा को शह दे रही है। तबादले करके अफसरों को लाया जाता है जो शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शनों में खुद ही हिंसा फैला रहे, और खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर पूरी हिंसा फैला रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि रिहाई मंच राज्य में मुसलमानों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग के युवाओं की हत्या और 'एनकाउंटर' पर सवालिया निशान उठाये हैं और पुलिस की कहानी का पर्दाफाश किया है। रिहाई मंच योगी सरकार की 'ठोक दो' नीति के तहत पुलिस द्वारा एनकाउंटर पर सवाल उठाता रहा है। रिहाई मंच और दूसरे संगठनों के प्रयास से इन मामलों की जांच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कर रहा है।

14 लोगों को फर्जी केसों से निकलवाने का काम भी रिहाई मंच ने ही किया है। मंच के सदस्य द्वारा पूर्व में बनाई गई योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर केंद्रित डाक्यूमेंट्री फिल्म इनको चुभती रही है। इस फिल्म के कारण ही योगी आदित्यनाथ के ऊपर एफआईआर हो पायी थी। यही कारण है कि मौजूदा आंदोलन के दमन के लिए साजिशन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनर्गल आरोप लगाए। उल्लेखनीय है कि इसी को लेकर रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव को पुलिस की तरफ से अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। प्रदेश के कई भागों में मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से एनएसए लगाए जाने और 02 अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान दलित नौजवानों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ भी मजबूती से आवाज उठाई।

वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमडिया ने प्रेस वार्ता में कहा कि लोकतंत्र की गरिमा को बनाये रखने के लिए रिहाई मंच ने बहुत काम किया है। मुसलामानों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग को बहुत समय से संघ के लोगो ने निशाना बनाये रखा है। उनका प्रयास है कि रिहाई मंच की छवि खराब करके उन्हें अलग-थलग छोड़ दें। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और पुलिस एनकाउंटर पर रिहाई मंच ने लम्बे समय से काम किया है। जिन लोगों की मौत हुई है और जिन्हें केसों में फंसाया गया है, उनके लिए तो रिहाई मंच ने बहुत कानूनी संघर्ष किया है। पुलिस और योगी आदित्यनाथ के साम्प्रदायिकता को भी उन्होंने कई बार उजागर किया है।

मानवाधिकारों पर काम कर रही वकील मंगला वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ और एनकाउंटर की पुलिस द्वारा रची गयी कहानियों में साफ दिखता है कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इसमें लिप्त हैं। इस पुलिस अराजकता को नीति का रूप मिला हुआ है। इन केसों की जानकारी से साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लोगों के प्रति भेदभाव और बहिष्कार भरा हुआ है।

रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि मंच पर झूठे मुकदमे लादकर अपने ऊपर उठ रहे सवालों को योगी सरकार दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान पकड़े गए और पूछताछ के लिए उठाए गए लोगों ने बताया कि मंच के नेताओं के फोन टेप किए गए। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्टों और विभिन्न गतिविधियों और यहां तक कि सीएए के खिलाफ जिन लोगों ने आधिकारिक तौर पर ज्ञापन दिए उन्हें भी षडयंत्रकर्ता के बतौर पूछताछ की गई।

शहीद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह के शहादत दिवस 19 दिसंबर को देशभर में नागरिकता संशोधन के खिलाफ हो रहे विरोधों की कड़ी में लखनऊ में भी सामूहिक प्रदर्शन हुए। 19 दिसंबर से पहले मुहम्मद शुऐब से प्रशासन लगातार वार्ता में रहा, लेकिन अचानक 18 दिसंबर को मुहम्मद शुऐब समेत 8 लोगों को 107/116 द.प्र.स. और थोड़े ही देर बाद 144 द.प्र.स. के तहत नोटिस पक ?ाकर, मुहम्मद शुऐब को उन्हीं के घर में बंदी बना लिया।

हाउस अरेस्ट के दौरान ही 19 दिसंबर की रात 11.45 बजे शुऐब को उनके घर से पुलिस द्वारा नजीराबाद में सर्किल ऑफिसर से मिलने के बहाने चलने को कहा गया। इस पर 76 वर्षीय शुऐब के रिश्तेदार ने सुबह ले जाने की गुजारिश की, क्योंकि दिनभर के हाउस अरेस्ट से वे पहले ही काफी तनाव में थे। जबरदस्ती उन्हें ले जाया गया। तुरंत उनकी पत्नी मलका बी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को फोन पर शिकायत दर्ज की। थोड़ी देर बाद एक सिपाही ने वापस आकर बताया कि वे हज़रतगंज थाने में हैं और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन सुबह तक जब उनकी कोई खबर न आई तो उनके परिजनों द्वारा इलाहबाद उच्च न्यायालय कि लखनऊ पीठ के समक्ष हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर दी गई। तथ्यों के विपरीत, सरकार का दावा है कि शुऐब को 20 दिसंबर को सुबह 8.45 बजे क्लार्क्स अवध तिराहा से गिरफ्तार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की धूर्तता और गैरकानूनी हरकतों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे राज्य में न्याय, प्रक्रिया और विधि-व्यवस्था की कोई मर्यादा नहीं बची है। जिस खुले ढंग से पुलिस के अफसरों ने मुसलमान, गरीबों और वंचितों पर हिंसा और प्रताड़ना फैलाई है, ये खुद मुख्यमंत्री के शह पर हो रहा है।

प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस द्वारा किये गए अपराध छोटे मोटे नहीं, बल्कि बेहद गंभीर हैं, न्यायपालिका ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, चाहे वो उच्च न्यायालय हों या उच्चतम न्यायालय। ऐसा करके इन्होने अपने पतन के रास्ते ही खोले हैं। प्रशांत भूषण ने सीएए-एनआसी के खिलाफ इस पूरे संघर्ष को दूसरे आजादी के आन्दोलन की तरह देखने को कहा।

गतांक की चीर-फ़ाड़

ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ़, उपकरणों व दवाइयों की कमी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 19-25 जनवरी 2020 के अंक में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्था है। जेएनयू प्रशासन शिक्षकों व छात्रों के बीच तीखे तर्किक विचार-विमर्श व संवाद से विवादों का हल निकालने की स्वस्थ्य परम्परा है। यहां के छात्र न सिर्फ आंदोलन के लिये प्रसिद्ध है बल्कि वे उच्च शिक्षा में भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। यहां से पढे हुए बहुत से छात्र देश सेवा से जुड़े अहम पदों पर कार्यरत हैं। यहां के बहुत से छात्र विदेशों में भी अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ रहे हैं। अभी हाल में भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा-2019 की 32 सीट के लिये जो परिणाम घोषित हुये हैं, उसमें उत्तीर्ण होने वालों में 18 तो केवल जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं। इससे जेएनयू के खिलाफ़ प्रचारित मिथक कि जेएनयू के छत्र पढते नहीं, सिर्फ़ आंदोलन करते हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) तथा मोदी सरकार ने जेएनयू शिक्षक संघ तथा छात्र संघ पर संघ समर्थित शिक्षकों व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का वर्चस्व स्थापित करने के लिये देश में एक ऐसा नैरेटिव बना दिया कि जेएनयू देशद्रोहियों, अर्बन नक्सली, टुकड़े-टुकड़े गैंग तथा आतंकवादियों का अड्डा है। जेएनयू प्रशासन द्वारा इस साल हॉस्टल फ़ीस में भारी वृद्धि करने के विरुद्ध छात्र संघ ने हड़ताल कर दी। पूरे सरकारी तंत्र व जेएनयू प्रशासन की सहायता से एबीवीपी समर्पित नकाबपोशों ने जेएनयू के छात्रों तथा शिक्षकों पर कातिलाना हमला कर दिया जिसमें कई छात्र व शिक्षक घायल हो गये। पुलिस ने अभी तक नकाबपोश गुंडों को हिरासत में नहीं लिया और यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि लेक्टिस्ट ने हमला किया है।

'जेएनयू पर हमला मामूली घटना नहीं, गृहमंत्री के भाषणों को ध्यान से सुनना चाहिये' में संघ परिवार द्वारा प्रचारित किये जा रहे टुकड़े-टुकड़े गैंग जुमले व मोदी सरकार की हिंसा रणनीति का सटीक विश्लेषण किया गया है। उनकी रणनीति के अनुसार इन तथाकथित राष्ट्रद्रोहियों को थोड़ी हिंसा से नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसलिये और अधिक हिंसा करनी पड़ रही है। इसी क्रम में 20 जनवरी को परिसर में एक और छात्र पर तीन हमलावरों ने आक्रमण कर घायल कर दिया, जिससे उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है उस छात्र पर हमला करने का आरोप एबीवीपी पर लगाया गया है, जिसकी शिकायत जेएनयू प्रशासन को कर दी गई है।

मोदी सरकार के संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए), एनआरसी तथा एनपीआर के विरुद्ध देशव्यापी विरोध प्रदर्शन व धरने चल रहे हैं जिसमें सभी जमात, धर्म, जाति के बड़े-बूढे, औरतें, बच्चे, एक्टिविस्ट तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता शामिल हैं। संघ परिवार मोदी सरकार ने बौखलाकर कानून के प्रति जन समर्थक जुटाने और विरोध प्रदर्शनों व धरनों को समाप्त करने व बदनाम करने की मुहिम चला रखी है। दिल्ली के शाहीन बाग़ में महिलाओं के शांतिपूर्ण धरने को समाप्त करने व बदनाम करने के भरसक प्रयत्न किये गए, जिनका 'शाहीन बाग तो खटक रहा है लेकिन गृहमंत्री के घर के आगे की सड़क खुलवाओ तो जाने' तथा 'जैनुल अबीदीन :शाहीन बाद का वो पुरुष जो 34 दिनों से आमरण अनशन पर' में पर्दाफ़ाश किया गया है। शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अनेक नगरों मेंभी विरोध धरने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश (यूपी) की राजधानी लखनऊ में महिलाओं के शांतिपूर्ण धरने को कुचलने के लिये पुलिस ने दो दर्जन महिलाओं के विरुद्ध अवैध धरना देने व दंगा कराने के आरोपों पर तीन एफआईआर दर्ज की गई है। इन सबके बावजूद सभी धरना स्थलों पर भीड़ बढती जा रही है और महिलाओं ने निर्णय किया है कि अगर सरकार पीछे नहीं हटेगी तो वे भी विरोध प्रदर्शन व धरने जारी रखेंगी।

यदि कोई जेएनयू छात्र संघ का समर्थन करता है तो मोदी सरकार के अंध समर्थक उसे सोशल मीडिया में तुरन्त ट्रोल करने लग जाते हैं। जब अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने जेएनयू छात्र आंदोलन का समर्थन किया तो सरकार भक्तों ने बौखलाकर सोशल मीडिया में उसके खिलाफ़ गालियां इस्तेमाल की और उसका चरित्र हनन किया, जिसकी 'अब समझ में आ गया है कि मोदी सरकार के समर्थकों की लड़ाई औरतों से है' में समीक्षा की गई है।

देश में सुख-शांति बहाल करने के लिये मोदी सरकार सीएए, एनपीआर व एनआरसी के विरोधियों को बदनाम करने, डराने, धमकाने व चुनौती देने की अपेक्षा सभी समुदायों को बुलाकर खुले मन से उनके साथ विचार-विमर्श कर संवाद स्थापित करके विवाद का हल निकालने का प्रयत्न करे।

'खट्टर और विज में रस्सा कशी-जड़ में है सीआईडी की एक गोपनीय फ़ाइल' तथा 'बुरे दिन भी देखे हैं सीआईडी ने' में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृहमंत्री अनिल विज के बीच सीआईडी विभाग को लेकर चल रही तनातनी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हाईकमान की भूमिका की चर्चा की गई है। इस विवाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता कैप्टेन अभिमन्यु भी कूद पड़े हैं और उन्होंने विज के पक्ष में बयान दिया कि सीआईडी विभाग गृह मंत्रालय से जुड़ा मामला है। इस विवाद को सुलझाते हुए भाजपा हाईकमान ने निर्णय किया है कि सीआईडी विभाग तो खट्टर के अधीन ही रहेगा, जबकि कानून-व्यवस्था के संबंध में वांछित रिपोर्ट विज को दी जायेगी।

देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। महंगाई बढती जा रही है और रोज़गार सृजन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 'आर्थिक सुस्ती का असर, इस साल कम होंगी 16 लाख नौकरियां' में एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के संदर्भ में राज्यों और केन्द्र सरकार में वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में चालू वित्त वर्ष में रोजगार के उत्पन्न अवसरों का खुलासा किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया है और भारत की ग्रोथ रेट में इस बड़ी कमी का असर विश्व अर्थव्यवस्था के लिये आईएमएफ़ के अनुमान पर भी पड़ा है।

अखिल भारतीय स्तर पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के समय राष्ट्रीय स्तर पर एससी-एसटी व ओबीसी को आरक्षण देने का प्रावधान है। एससी-एसटी छात्रों को तो यह लाभ दिया जाता है लेकिन अभी ओबीसी छात्रों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, जिसको 'मेडिकल कॉलेजों में दाखिला:ओबीसी की तीन हजार से अधिक सीटों पर उच्च जातियों को आरक्षण' में उजागर किया गया है। केन्द्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के प्रभाव का अध्ययन करने वाले पैनल को रिपोर्ट देने की समय अवधि आठवीं बार बढा दी है, जिसके परिणामस्वरूप ओबीसी छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा और उनकी खाली सीटों पर सामान्य वर्ग के छात्रों का नामांकन हो जायेगा।

जम्मू-कश्मीर के पुलिस अधिकारी डीएसपी देविंदर सिंह पर आतंकवादियों की मदद करने, पिछले साल पुलवामा में हुए चरणपंथी हमले में शामिल होने तथा संसद हमले के दोषी अफ़जल गुरु के माध्यम से देविंदर द्वारा विदेशी चरमपंथी को सुविधाएं प्रदान कराने के आरोपों का 'देविंदर सिंह ने गिरफ़्तारी से पहले डीआईजी से कहा-सर ये गेम है, आप इसे खराब मत करो' में भंडा-फ़ोड़ किया गया है। एनआईए द्वारा देविंदर के खिलाफ़ इन आरोपों की जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त अफजल की पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि देविंदर ने अफजल को रिहा करने के बदले में एक लाख रुपये मांगे थे। आश्चर्य है कि ऐसे संदिग्ध पुलिस अधिकारी को प्रदेश के सबसे बड़े [illegible]

ईएसआई अस्पताल में डॉक्टर, स्टाफ़, उपकरणों व दवाइयों की कमी का खुलासा मज़दूर मोर्चा द्वारा अक्सर किया गया है, लेकिन हरियाणा सरकार व ईएसआई निगम द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 'ईएसआई अस्पताल में स्टाफ़ की भारी कमी, मरीज अपनी देख-भाल खुद करायें', डॉक्टरों की बेहतरीन सेवाओं पर पानी फेरती पैरा स्टाफ़ की कमी' तथा 'फ़ीड बैक फ़ार्म निरर्थक' में ईएसआई अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था कीं बदहाली, डॉक्टरों व स्टाफ़ की कमी का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। गौरतलब है कि मज़दूरों के वेतन में से वसूले गये धन से ईएसआई निगम का खजाना भरा पड़ा है, लेकिन निगम द्वारा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के लिये आवश्यक धन खर्च नहीं किया जाता, जिससे मज़दूर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जाता है और उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है।